

म.प्र.शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र मलाजखंड

अभियोजन

विरुद्ध

- 1—राधेश्याम पिता चन्द्रभान, उम्र 41 साल,
निवासी मोहगांव, थाना मलाजखंड, जिला बालाघाट।
- 2—गोकुल पिता झम्मुलाल, उम्र 45 साल,
निवासी—वार्ड नं.8, बजारीटोला, थाना मलाजखंड, जिला बालाघाट।
- 3—वसीम खान पिता वहीद खान, उम्र 30 साल,
निवासी—मोहगांव, थाना मलाजखंड, जिला बालाघाट।
- 4—निक्की पिता अमरसिंह,
निवासी—अनूपपुर, जिला नरसिंहपुर।
- 5—किशोर पिता ईश्वरी प्रसाद, उम्र 40 साल,
निवासी—मोहगांव थाना मलाजखंड जिला बालाघाट।
- 6—आनंदी पिता कपूरदास, उम्र 27 साल,
निवासी—मोहगांव, थाना मलाजखंड, जिला बालाघाट।
- 7—हेमराज पिता नाथूराम, उम्र 40 साल,
निवासी—मोहगांव, थाना मलाजखंड, जिला बालाघाट।
- 8—पुरुषोत्तम पिता मूलचंद उम्र 40 साल,
निवासी—मोहगांव, थाना मलाजखंड, जिला बालाघाट।

आरोपीगण

निर्णय

(आज दिनांक 13.12.2014 को घोषित)

निष्कर्ष

अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध हेतु पूर्व दोषसिद्धि का प्रमाण नहीं है। अभियुक्तगण की स्वेच्छया एवं स्पष्ट अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर उन्हें धारा 13 जुआ एक्ट के आरोप में दोषसिद्ध ठहराया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्तगण को परीविक्षा प्रावधान का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

दण्डादेश या अन्य अंतिम आदेश

दंड के प्रश्न पर विचार किया गया। अपराध की प्रकृति, प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्तगण को प्रमाणित अपराध के लिए धारा 13 जुआ एक्ट के आरोप में दोषसिद्धि कर 100-100/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदंड अदायगी में व्यतिक्रम पर अभियुक्तगण को 2-2 दिन का साधारण कारावास भुगताया जावे।

जप्तशुदा रुपये 3,150/- (तीन हजार एक सौ पचास रुपये) राजसात किये जावे तथा जप्तशुदा तास के पत्ते विधिवत् नष्ट किये जावे।

बैहर
दिनांक-13.12.2014

(सिराज अली)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, जिला-बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)